



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1147 वर्ष 2026

सत्य नारायण
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अजय सिंह पटेल, पीयूष
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

संशोधन आवेदन संख्या 2/2026 के संदर्भ में

1. संशोधन आवेदन के माध्यम से दिनांक 29.01.2026 के आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में "चौथे प्रतिवादी, उप-मंडल" शब्दों को हटाने का अनुरोध किया गया है। मजिस्ट्रेट, तहसील-करवी, जिला चित्रकूट" इसके स्थान पर "द्वितीय प्रतिवादी, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ" को प्रतिस्थापित किया जाए।

2. तदनुसार सुधार आवेदन स्वीकार किया जाता है।

4 फरवरी, 2026

एनएसआरथौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"